न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश,षष्टम् सह विशेष न्यायाधीश
अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति(अत्याचार निवारण) अधिनियम
बिहारशरीफ,नालन्दा।

उपस्थितः–धीरज कुमार भास्कर,अपर सत्र न्यायाधीश,षष्टम् सह विशेष न्यायाधीश
अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति(अत्याचार निवारण) अधिनियम
बिहारशरीफ,नालन्दा।

अग्रिम जमानत आवेदन सं0 485 / 26

1. सोनी खातुन, पे0–मो0 सोनु
2. साजमीन खातुन, पति–मो0 शर्फुद्दीन

साकिन– श्रीचंदपुर, थाना–हरनौत, जिला–नालंदा.....आवेदिकागण

बनाम

बिहार सरकार

17.04.2026

हरनौत थाना कांड संख्या–560 / 2025 अंतर्गत धारा–126(2), 127(2), 115(2), 109, 191(2), 191(3), 352, 351(2), 324(4), 103, 3(5) भारतीय न्याय संहिता के अन्तर्गत आवेदिका सोनी खातुन एवं साजमीन खातुन की ओर से अग्रिम जमानत आवेदन दाखिल किया गया है, जिसकी प्रति विद्वान् विशेष लोक अभियोजक को प्राप्त करा दिया गया है। आवेदिकागण की ओर से दाखिल जमानत आवेदन पर आज सुनवाई की गयी।

उक्त जमानत आवेदन पर आवेदिकागण के विद्वान् अधिवक्ता एवं अभियोजन की ओर से विद्वान् विशेष लोक अभियोजक को सुना गया।

आवेदिकागण के विद्वान् अधिवक्ता ने जमानत आवेदन के समर्थन में कथन किये है कि आसिमा खातुन के लिखित आवेदन के आधार पर झूठा केस में उन्हें अभियुक्त बनाया गया है। उनकी ओर से पूर्व में कोई अग्रिम जमानत आवेदन या नियमित जमानत आवेदन इस न्यायालय में या माननीय उच्च न्यायालय, पटना में दाखिल नहीं किया गया है। वे निर्दोष हैं। उनका कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। आवेदिकागण को गिरफ्तार होने का भय है। वह न्यायालय के आदेश को मानने के लिए तैयार हैं। अतः आवेदिकागण को जमानत पर मुक्त किया जाए।

विद्वान विशेष लोक अभियोजक उक्त जमानत आवेदन का विरोध करते हैं।

सूचिका आसिमा खातुन के द्वारा थाना में दिये गये लिखित आवेदन के आधार पर अभियोजन का वाद संक्षेप में यह है कि दिनांक–14.12.25 को समय 10.00 बजे रात्रि में सूचिका का बेटा मो0 दिलशाद घर के दरवाजा पर बैठा था तो मो0 कमरूद्दीन शराब पी कर उसके घर पर गाली गलौज करने लगा। सूचिका का पुत्र गाली गलौज करने से मना किया। इसी बात पर मो0 कमरूद्दीन, मो0 सोनु, मो0 रफिक, मो0 शफुद्दीन, मो0 अफरोज, सोनी खातुन, साजमिन खातुन सूचिका के घर पर आकर गाली गलौज एवं धमकी देने लगा। मो0 सोनु दिलशाद को लोहे के रड से सर पर मारा, जिससे उसका सर फट गया। सूचिका की गोतनी सहाना खातुन, भैंसुर मो0 रियाज, जाउत मो0 शौकत झगड़ा छुड़ाने आया तो सभी को लाठी, डंडा से मारपीट कर जख्मी कर दिया। जख्मियों के इलाज के लिए कल्याण बिगहा अस्पताल ले गए। इलाज के दौरान मो0 दिलशाद के सर पर छह टाका लगा। इलाज के बाद सूचिका के पुत्र एवं जाउत मो0 शौकत घर लौट रहे थे तो रास्ते में मोटरसाईकिल रोक कर मो0 सोनू, मो0 कमरूद्दीन, मो0 रफीक,मो0 शर्फुद्दीन, मो0 अफरोजसूचिका के बेटे दिलशाद को लाठी,डंडे एवं लोहे के रड से मारपीट किये, जिससे उसकी मृत्यु वही पर हो गई तथा गाड़ी को क्षतिग्रस्त कर दिया। सूचना पर सूचिका के घर वाले वहॉ पहुॅचकर मो0 दिलशाद को कल्याण विगहा, अस्पताल ले जाया गया, जहॉ उसे मृत घोषित कर दिया गया।

जमानत के विन्दु पर उभय पक्षों का तर्क सुना एवं अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख के अवलोकन से प्रतीत होता है कि आवेदिकागण के विरूद्ध अभियोग है कि वे अन्य अभियुक्तों के साथ मिलकर सूचिका आसिमा खातुन की गोतनी सहाना खातुन, भैंसुर मो0 रियाज, जाउत मो0 शौकत के साथ मारपीट कर जख्मी कर दिया। आवेदिकागण के विरूद्ध दिलशाद के साथ मारपीट करने का आरोप नहीं है। केस दैनिकी के कंडिका–06 में सूचिका तथा कंडिका–07 एवं 08 में साक्षियों ने अभियोजन घटना का समर्थन किया है। केस दैनिकी के कंडिका–22 पर्यवेक्षण टिप्पणी के अवलोकन से प्रतित होता है कि उक्त घटना में आवेदिकागण

क्रमशः

न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश,षष्टम् सह विशेष न्यायाधीश
अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति(अत्याचार निवारण) अधिनियम
बिहारशरीफ,नालन्दा।

उपस्थितः–धीरज कुमार भास्कर,अपर सत्र न्यायाधीश,षष्टम् सह विशेष न्यायाधीश
अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति(अत्याचार निवारण) अधिनियम
बिहारशरीफ,नालन्दा।

अग्रिम जमानत आवेदन सं0 485/26

सोनी खातुन एवं अन्य बनाम बिहार सरकार

लगातार

17.04.2026

आवेदिकागण की संलिप्तता को सत्य पाया गया है। पर्यवेक्षण टिप्पणी में यह भी कहा गया है कि द्वितीय घटनास्थल पर गड्ढा में पानी भरा था। संभवतः बाईक पर नियंत्रण खो जाने के कारण बाईक गड्ढ़ा में गिर जाने से दिलशाद की मृत्यु हो गई। चिकित्सक द्वारा जख्मी शौकत के शरीर पर साधारण प्रकृति का जख्म पाया गया है। चिकित्सक द्वारा जख्मी मो0 रियाज के शरीर पर निम्न जख्म पाया गयाः–

Nosel Bleeding in both Nostril .
Whole Body and Chest pain
Numbres in left side fau and ear

तथा जख्मी सहाना खातुन के शरीर पर निम्न जख्म पाया गया हैः–

Pain and Swelling both hand and Rt.Leg.

चिकित्सक द्वारा जख्मी मो0 रियाज एवं सहाना खातुन के जख्म की प्रकृति के संबंध में Opinion Reserve रखा गया है। आवेदिकागण के विरूद्ध पूरक अनुसंधान जारी रखते हुए अन्य अभियुक्तों के विरूद्ध धारा–126(2), 127(2), 115(2), 109, 191(2), 191(3), 352, 351(2), 324(4), 3(5) भारतीय न्याय संहिता के तहत आरोप पत्र समर्पित किया गया है। आवेदिकागण महिला हैं। जमानत आवेदन के कंडिका–03 में कहा गया है कि इनका कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। उक्त परिस्थिति में आवेदिकागण को अग्रिम जमानत पर मुक्त करना उचित प्रतीत होता है।

उपरोक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों पर विवेचना करने के उपरांत न्यायालय आवेदिका सोनी खातुन एवं साजमीन खातुन को आदेश की प्रति प्राप्त होने के 30 दिनों के अन्दर निम्न न्यायालय में आत्मसमर्पण करने या पुलिस द्वारा अभिरक्षा में लिये जाने पर संबंधित न्यायालय के संतुष्टि पर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 482 में उल्लिखित शर्तो के अधीन 15000/–रूपये के समतुल्य राशि के दो प्रतिभूओं वाले बंध पत्र निष्पादित करने के उपरान्त निम्न शर्त्त पर जमानत पर मुक्त किये जाने का **आदेश** दिया जाता है।

शर्त्तः–

1. आवेदिकागण के एक जमानतदार नजदीकी रिश्तेदार होंगे।
2. आवेदिकागण इस आशय का शपथ पत्र दाखिल करेंगे कि उनके विरूद्ध कोई केस लंबित नहीं है।
3. वे भविष्य में इस तरह के अपराध में शामिल नहीं होंगे।
4. अनुसंधान/विचारण में सहयोग करेंगे।
5. जख्मी रियाज एवं सहाना खातुन के शरीर के Vital part पर गंभीर जख्म पाये जाने की स्थिती में आवेदिकागण का बंधपत्र खंडित कर दिया जाएगा।

(लेखापित एवं संशोधित)
ह0/–
(धीरज कुमार भास्कर)
अपर सत्र न्यायाधीश–षष्टम्
सह विशेष न्यायाधीश
अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति
(अत्याचार निवारण) अधिनियम
नालन्दा, बिहारशरीफ।